न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू जिला जयपुर

निगरानी संख्या 69 / 20201
निर्णय दिनांक 25.04.2022

गोपाल लाल पुत्र कल्याण सहाय जाति ढोली निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट संख्या 550 संजय नगर डी0सी0एम0 अजमेर रोड जयपुर राज0

– प्रार्थी

बनाम

1 पंचायत समिति दूदू जरिये विकास अधिकारी दूदू तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर

2 सत्यनारायण पुत्र भेवरलाल

3 मदनलाल पुत्र भंवरलाल समस्त जाति ढोली निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

4 ग्राम पंचायत मौजमाबाद जरिये सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

– अप्रार्थीगण

निगरानी कर्ता के अधिवक्ता रामधन चौधरी

गैर निगराननी कर्ता के अधिवक्ता गोगराज चौधरी

<u>निर्णय</u>

<u>निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आज्ञा पंचायत समिति दूदू दिनांक 17 / 01 / 1975 को पटटा बाबत।</u>

निगरानीकार गोपाल लाल पुत्र कल्याण सहाय जाति ढोली निवासी मौजमाबाद जिला जयपुर द्वारा निगरानी पेश की गई जिसका संक्षेपसार इस प्रकार से हैः–

1. यह है कि निगरानीकार व गैरनिगरानीकार एक ही परिवार के सदस्य है तथा ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में अपने अपने पूर्वजो के समय से निवास करते चले आ रहे है।

2 यह है कि निगरानीकार के पिता व गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 के दादा ने अपने जीवनकाल में ही आवादी भूमि को बांट ली थी और अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे थें। लेकिन गैर निगरानीकार संख्ख्या 2 व 3 के पिता ने निगरानीकार के कब्जेशुदा

अति. जिला कलक्टर
दूदू

बाडे/गुवाडी का गुपचुप में दिनांक 17.01.1975 को ही पंचायत संमिति दूदू द्वारा एक फर्जी पटटा बनवा लियां। जबकि पंचायत समिति (विकास अधिकारी को) को आबादी भूमि में पटटा जारी करने का कोई अधिकार नही था। तथा पंचायत समिति ने पचायतीराज अधिनियम 1953 की धारा 71 व 87 के अनुसार पटटा जारी करना उल्लेखित किया है वो भी गलत है। जबकि सही बात यह है कि उपरोक्त धाराओं में भी पंचायत द्वारा कोई व्यतिक्रम करने या पंचायत द्वारा कोई चूक करने पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत को उनकी पालना करने के लिये ही निर्देशित कर सकती थी। इसलिए भी उक्त पटटा स्वतः ही निरस्तनीय है।

3. यह कि निगरानीकार गत 15–20 वर्षो सं कमाने खाने के उद्वेश्य से जयपुर में निवास करने लग गया। लेकिन वह बार–त्यौहार गौंव आता जाता रहता था और अपनी भूमि की सार संभाल करता आ रहा था। तथा निगरानीकर्ता नियमितरूप सं वहां नही रहने का नाजायज फायदा उठाकर गैर निगरानीकार के पिता ने अपने पक्ष में पटटा जारी करवा लिया जो प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

4 यह कि निगरानीकर्ता के पिता व गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 के दादा आपस में सगे भाई थें। जिन्होनें मौजमाबाद में स्थित आबादी भूमि का अपने जीवनकाल में ही बंटवारा कर लिया था। बंटवारें में गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 के पिता को जारी किये गये पटटे की भूमि निगरानीकार के पिता के हक व हिस्से में आई थी। तथा शेष भूमि गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 के पिता /दादा के हिस्सेे में आई। इस प्रकार गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 के पिता ने उक्त समस्त तथ्यों को छुपाते हुये 117 वर्ग गज 1 फुट का जो पटटा प्राप्त किया है वह प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

5 यह कि निर्णय योग्य पंचायत समिति विधि विधान एंव पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

6. यह कि पंचायत समिति को आबादी भूमि में पटटे देने कस कोई अधिकार नही है। इयलिए भी उक्त पटटा निरस्त किये जाने योग्य है।

7 यह कि पंचायत समिति दूदू ने नियमो के विरूद्व गैरनिगरानीकर्ता को नाजायज लाभ देते हुये आपस में मिलीभगत करते हये बाला बाला गैर निगरानकार संख्या 2 व 3 के पिता के पक्ष में पटटा जारी कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

8. यह कि पंचायत समिति ने उक्त तथ्य की और कतई ध्यान नही दिया कि उक्त आबादी भूमि पर किसका कब्जा है। बिना कब्जे की जॉच किये ही गैर निगरानीकार संख्या 1 ने गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 के पिता के हक में जो पटटा जारी किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

9. यह कि उक्त पटटा पंचायती राज प्रावधानों को ताक में रखते हुऐ जारी किया गया है। जिसमें पचायतीराज प्रावधानों की कतई पालना नही की गई । इस कारण भी पटटा निरस्त किये जाने योग्य है।

10. यह कि उक्त पटटे जारी करने से पूर्व पंचायत समिति द्वारा कब्जे के संम्बध में किसी भी प्रकार की कोई जॉच नही की गई तथा ना ही पंच कमेटी ही नियुक्त की गई उक्त सम्पूर्ण कार्यवाह गैर निगरानीकर्तागण को नाजायज लाभ पहुचाने की गरज से की गई थी। जो कि प्रारम्भ से ही निरस्त किये जाने योग्य है।

11. यह है कि निगरानीकर्ता को उक्त गलत व विधि विरूद्व पटटे की जानकारी पूर्व में नही थी। अभी हाल में दिनांक 02.12.2017 को जब निगरानीकार द्वारा अपनी आबादी भूमि पर मकान बनाने हेतु नाम जोख कर रहा था तो गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 ने कहा कि तुम इसकी नाम जोख क्यो कर रहे हो तो निगरानीकार ने कहा कि मै मेरी भूमि पर मकान बनाउगां, तो गैरनिगरानीकार ने कहा कि यह भूमि तो हमारी है। इस भूमि का हमारे पिता के नाम से पटटा है। जो पंचायत समिति दूदू द्वारा मेरे हक में जारी किया गया है। जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पटटे की नकल हेतु आवेदन किया। जिसकी नकल प्राप्त होने पर उक्त निगरानी जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। इससे पूर्व निगरानीकार को कोई जानकारी नही थी।

12. यह है कि पंचायत समिति द्वारा जारी पटटा न्याय के सहज एवं प्राकृति नियमों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर पंचायत समिति दूदू द्वारा जारी यिका गया पटटा दिनांक 17.01.1975 को निरस्त फरमाया जावे।

अतः प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर गैरनिगरानीकर्ताओ को नोटिस भेज कर तलबी करबाई गई। जिस पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 की और से गोगाराज चौधरी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया।

गैरनिगरानीकर्ता को जवाब हेतु समय दिया गया। तथा मूल रिकार्ड तलब हेतु तहरीर जारी की गई । परन्तु गैरनिकारीकताओ द्वारा समय दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही किये जाने पर निगरानीकर्ता के वकील ने मौखिक आपत्ति कर कहा की यह न्याय प्रणाली के नियमों विरूद्व है। अतः बहस को सुना जावें ताकि निगरानीकर्ता को शीघ्र न्याय मिल सकें। अतः निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक व लिखित बहस को सुना व पढा गया। निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ पंचायतराज अधिनियम 1996 के पेज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

संख्या 156–157,158–159,417,417 की छाया प्रति पेश की गई। तथा गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश करने हेतु निवेदन किया । गैर निगरानी कर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखत बहस पेश की गई। हमने पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तवाजो को अवलोकन किया तथा मनन करने पर पाया की पंचायत समिति दूदू ने अपने पत्रांक पसदूदू/2018–19/137 दिनांक 27.03.2019 में निगरानीकर्ता गोपाललाल पुत्र कल्याण सहाय जाति ढोली निवासी मौजमाबाद से सम्बधित रिकार्ड (जारी मूल पटटा एवं सम्बधित दस्तावेज) दिनांक 24.10.17 को पंचायत समिति दूदू द्वारा गठित कमेंटी व दिनांक 07.09.2017 की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत मौजमाबाद व पंचायत समिति दूदू में उपलब्ध नही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पंचायत समिति ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत भी पेश नही किया है जिससे यह पता चलें कि पंचायत द्वारा किये गये व्यक्किम के कारण पंचायत समिति द्वारा पटटा जारी किया गया है। अतः बिना लोकस स्टैण्डाई के जारी किया गया पटटा प्रथमतः ही शुन्य है। तथा प्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किया गया जो यह दर्शाता हो की यह आबादी भूमि पर हमारी है। साथ गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 ने भी आबादी भूमि सम्बधी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुचें की पंचायत समिति दूदू द्वारा दिनांक 17.01.1975 को जारी पटटे के आदेश को निरस्त किया जाता है। तथा ग्राम पंचायत मौजमाबाद को आदेश दिया जाता है कि वे एक कमेटी गठित कर उक्त आबादी भूमि की जॉच कर सही व उचित पक्षकार के पक्ष मे पुनःपटटा जारी करे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो । फैसला खुले मे सुनाया गया।

राजेन्द्रसिंह शेखावत
अतिरिक्त जिला कलक्टर एंव
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट दूद
जिला जयपुर राज0